UPMH010032192026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या–02, महराजगंज।
उपस्थितः अलख कुमार, एच.जे.एस.
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1005/2026

सलमान पुत्र अब्दुल हरेरा उर्फ अबू हरेरा उम्र 20 वर्ष निवासी जिगनिहा, थाना कोल्हुई जिला महराजगंज।

--------प्रार्थी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

--------विपक्षी

मु०अ०नं०–67/2026
धारा–8/21/23 NDPS ACT
थाना–सोनौली, जनपद– महराजगंज।

24.07.2026

1. प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र अभियुक्त सलमान पुत्र अब्दुल हरेरा उर्फ अबू हरेरा की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–67/2026, अन्तर्गत धारा–8/21/23 NDPS Act, थाना–सोनौली, जिला–महराजगंज प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ अफरीना की ओर से इस आशय का शपथपत्र दाखिल किया गया है कि वह अभियुक्त की मां तथा पैरवीकार मुकदमा है। अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अतिरिक्त कोई भी जमानत प्रार्थनापत्र न तो माननीय न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है।

2. उपरोक्त जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता के तर्को को सुना एवं दस्तावेजों का सम्यक अवलोकन किया।

3. अभियुक्त द्वारा अपने जमानत प्रार्थनापत्र में मुख्य रूप से जमानत का यह आधार लिया गया है कि "प्रार्थी बिल्कुल ही निर्दोष व बेकसूर है, जिसने कोई अपराध कारित नहीं किया है महज धनउगाही करने के उद्देश्य से प्रार्थी को अभियुक्त बना दिया गया है। तथाकथित घटना से धाभी का कोई वास्ता सरोकार नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के गिरफ्तारी के समय एन.डी.पी.एस. एक्ट के निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। तथाकथित बरामदगी से प्रार्थी/अभियुक्त का कोई वास्ता सरोकार नहीं है तथा तथाकथित बरामदगी वाणिज्यिक मात्रा से काफी कम है। तथाकथित बरामदगी प्रार्थी/अभियुक्त के पास से नहीं हुई है । प्रार्थी / अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। तथाकथित घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त एक छात्र है जिसके जेल में रहने से उसका भविष्य चौपट हो जायेगा । न्यायालय हाजा में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह प्रथम जमानत प्रार्थना-पत्र है कोई जमानत प्रार्थना-पत्र माननीय उच्च न्यायालय में न तो दाखिल हुआ है न ही लंबित है और न ही निरस्त हुआ है। प्रार्थी अपना माकूल जमानते देने को तथा माननीय न्यायालत द्वारा अधिरोपित सभी शर्तों को मानने के

लिए तैयार है। जिसे जमानत पर रिहा किया जाना न्यायसंगत है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने की कृपा करें ।

4. अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक/सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए यह कथन किया गया है कि प्रस्तुत मामले में पुलिस पार्टी द्वारा अभियुक्त के पास से 49.42 ग्राम अवैध स्मैक बरामद किया गया है जिसे वह नेपाल ले जा रहा था। अतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

5. प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि दिनांक 11.07.2026 को पुलिस पार्टी द्वारा अभियुक्त के पास से 49.42 ग्राम अवैध स्मैक जिसे वह नेपाल ले जा रहा था बरामद किया गया है। बरामदशुदा स्मैक वाणिज्यिक मात्रा से काफी कम है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। मामले के तमाम गवाह पुलिस के कर्मचारी व अधिकारी है। इस प्रकार यह कह पाना कि प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने पर गवाहों को डरायेगें व धमकायेगें, उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, मामले के गुण दोष पर बिना कोई अभिमत दिए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का पर्याप्त आधार है। तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

6. आवेदक/अभियुक्त **सलमान** पुत्र अब्दुल हरेरा उर्फ अबू हरेरा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार किया जाता है–

(1) आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु0–50,000/– (पचास हजार) रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं विधि व्यवस्था **Smt. Bachhi Devi Vs State of U.P. and Another (2025 SCC Online ALL 5286) व Pappu met @ Pappu Vs State of U.P. & Anr. Matters Under Article 227 No. 15205 of 2025 Judgment dated 11 December 2025** में प्रतिपादित सिद्धान्तों के दृष्टिगत समान धनराशि की एक प्रतिभू प्रस्तुत करने पर उसे रिहा किया जाये।
(ii) आवेदक/अभियुक्त जमानत पर रिहा होने के पश्चात् मामले के साक्षियों को प्रभावित नही करेगा तथा साक्ष्यों को विरूपित करने का प्रयास नहीं करेगा।
(iii) आवेदक/अभियुक्त विचारण के स्तर पर कार्यवाही को विलम्बित नही करेगा। ।
(IV) आवेदक/अभियुक्त अपना तथा जमानतदारों का निवास स्थान बदलने पर इसकी सूचना न्यायालय को देगा।

7. कार्यालय लिपिक को आदेशित किया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति आवेदक/अभियुक्त को उपलब्ध कराये जाने हेतु जेल अधीक्षक, महराजगंज को जरिए ई–मेल या ई–प्रिजन पोर्टल के माध्यम से अविलम्ब प्रेषित करना सुनिश्चित करें ताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Policy Strategy for Grant of Bail, In Re Suo Moto Writ Petition (Crl.) No. 4 of 2021 decided on 31.01.2023 reported in (2024) 10 SCC 485** में पारित आदेश का अनुपाल सुनिश्चित हो सके।

दिनांकः24.07.2026

(अलख कुमार)
आई.डी. नम्बर–यू.पी.3826
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
त्वरित न्यायालय, कोर्ट संख्या–2,
महराजगंज।

Digitally signed by ALAKH KUMAR
Date: 2026.07.25 13:49:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court